

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मये इनिशियल्स जज

30.4.21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगित/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक 1.5.21 को पेश हो।

18.8.21

उभय पक्ष उपस्थित न होने पर सीन अधिकारी राणधीय
कार्य से बाहर हैं। अतः काश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 2.9.21 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29.6.21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगित/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक 30.6.21 को पेश हो।

29/10/21

पत्रावली प्रशासन गाँवों के लोग अभियान 2021
केम्प गाँव पंचायत माडू में पेश हुई। अभिभाषकगण
के सम्मन बाद तामित वेबर प्राप्त हुए एवं
पटवार हल्ला परवारी द्वारा विपटि पेश हुई
जिसे शा.प.क. किया गया। प्राथमिक शा.
सर्वना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय
मुफ्त से किया जाकर शा.प.क. किया गया।
पत्रावली के लक्ष्य सुमार होकर नम्बर से 50
हो।

डॉ. पूजा सरसेना

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 206/20 प्र. ए. एस.
आराजी सं/० ६१५/१ गुर्जर विवासी - राणा ना कान्हेरा (कैरा) तहसील (कैरा)

बनाम
आराजी सं/० ६१५/१ गुर्जर विवासी - कैरा तहसील मांडल (कैरा) विपक्षीगण
(संस्थापित) (असत्य)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 29-10-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कैरा पटवार हल्का जे.एस. तहसील मांडल/में उसके खाते/संयुक्त खातों की आराजी नं. ६१५/१, ६१५/१ कुल किता ०२ रकबा ०३ बीघा हेक्टेयर ६ स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी

मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ११.११.२० को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कैरा पटवार हल्का जे.एस. तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. ६१५/१, ६१५/१ कुल किता ०२ रकबा ०३ बीघा हेक्टेयर ६

भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक डॉ. ए. ए. सिन्हा को ५००/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला- भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

सांभल, जिला- भीलवाड़ा

प्रशस्तन गाँवों के संग अभियान 2021